

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण कं-152/2005

संस्थित दिनांक-30.05.2005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. दशरथ पुत्र राजधर कुशवाह उम्र 52 साल
 2. जगत सिंह पुत्र राजधर कुशवाह उम्र 44 साल
 3. नारायण पुत्र घुमन कुशवाह उम्र 37 साल
 4. लाखन पुत्र घासीराम कुशवाह उम्र 39 साल
- निवासीगण विक्रमपुर जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 15.11.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 294, 326/34, 506 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 07.03.2004 को समय 11:00 बजे ग्राम विक्रमपुर में फरियादी रामसिंह को उसकी गंतव्य दिशा में जाने से विरत कर सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी को मां बहन की गालियां के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रामसिंह को उपहति करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में काटने के उपकरण कुल्हाड़ी एवं फर्सा से मारकर फरियादी रामसिंह को अस्तिभंग की स्वेच्छया घोर उपहति कारित की एवं उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.03.2004 को सुबह फरियादी रामसिंह व जगत सिंह कुशवाह के बच्चे खेल रहे थे, तो रामसिंह ने डांडकर भागया दिया था, उक्त बात पर रात करीब 11:00 बजे खेत पर काम करके पानी बरसने से सोने आ गया था, तो बच्चों की लड़ाई पर से दशरथ, जगतसिंह, नारायण और लाखन आयु और रामसिंह को मां-बहन की गालियां देने

लगे, रामसिंह ने गाली देने से मना किया तो जगतसिंह ने कुल्हाड़ी मारी सिर में लगने से खून बहने लगा, दशरथ ने फर्सा की मारी कान में लगकर खून बहने लगा नारायण तथा लाखन से लाठियों से मारपीट की, जिससे रामसिंह के पैरों, कमर और पीठ में मुंदी चोट आई, राम सिंह चिल्लाया तो छोटे राजा, उमरिया वाले तथा कैलाश ड्रायवर एच0एम0टी0 बस वाला आ गया, उन्होंने रामसिंह को बचाया, फिर चारों कहने लगे, कि आज तो बच गया अगली बार जान से खत्म देंगे, दिनांक 08.03.2004 को फरियादी रामसिंह द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-66/05 अंतर्गत धारा- 341, 294, 323, 506 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03-अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

| | |
|----|--|
| 1. | क्या अभियुक्तगण ने उन्होने दिनांक 07.03.2004 को समय 11:00 बजे ग्राम विक्रमपुर में फरियादी रामसिंह को उसकी गंतव्य दिशा में जाने से विरत कर सदोष अवरोध कारित किया ? |
| 2. | क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी को मां बहन की गालियां के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया ? |
| 3. | क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी रामसिंह को उपहति करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त |

| | |
|----|--|
| | सामान्य आशय के अग्रसरण में काटने के उपकरण कुल्हाड़ी एवं फर्सा से मारकर फरियादी रामसिंह को अस्तिभंग की स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ? |
| 4. | क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी रामसिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया ? |
| 5. | दोष सिद्धि व दोष मुक्ति ? |

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्न का विवेचन पहले किया जा रहा है। फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में एक मात्र आहत है, का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि घटना मार्च 2005 की है, उस दिन वह अपने खेत पर था तथा रात में पानी आ जाने के कारण खेत के पास ही कुटी मोहल्ले में जहां उसका एक कुटी पर कब्जा है, वहा आ गया था। फरियादी के अनुसार उक्त रात को 11:00 बजे आरोपीगण ने वहां आकर मां बहन की अश्लील गालिया दी थीं तथा उसके साथ मारपीट की थी। फरियादी ने अपने मुख्यपरीक्षण में हालांकि इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि विवाद किस कारण से हुआ था, परन्तु फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 3 में यह व्यक्त किया है कि उसके घर के सामने उसका बच्चा व आरोपीगण का बच्चा खेल रहा था, जिन्हें उसने डांटकर भगा दिया था।

06— अतः फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) के अनुसार अभियुक्तगण के द्वारा घटना दिनांक को रात्रि 11:00 बजे उसके खेत के पास कुटी पर आकर इस कारण से गाली-गलौच व मारपीट की, आरोपीगण का बच्चा व उसका बच्चा घर के सामने खेल रहा था, जिसे उसने डांटकर भगा दिया था। फरियादी के द्वारा घटना घटित होने के बताये गये उपरोक्त कारण को लेकर उसके संपूर्ण कथनों में कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है तथा इस संबंध में इस साक्षी के द्वारा

दिये गये कथनों की पुष्टि उसके दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 एवं पुलिस को दिये गये कथन में घटना घटित होने के दर्शाये गये कारण से भी होती है।

- 07- रामसिंह (अ0सा0-1) का कहना है कि रात्रि में पानी आ जाने के कारण वह अपने खेत के पास स्थित कुटी मोहल्ले में जहां उसकी एक कुटी पर कब्जा हैं, वह वहां आ गया था, जहां रात को 11:00 बजे आरोपीगण ने उपरोक्त कारण से आकर उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट की थी। घटना स्थल के संबंध में फरियादी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह कथन दिये है कि जहां पर घटना घटित हुई थी, वहां पर लालबाई व लालजी की कुटी है तथा बीच में खाली स्थान है। फरियादी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त कुटियों के सामने आम रास्ता है तथा रोड के उस पार आगनबाडी केंद्र है। फरियादी के अनुसार लालजी जो कि उसका हरवारा है, उसी कुटी में वह अपना सामान रखता था अर्थात् फरियादी के अनुसार घटना दिनांक को पानी आ जाने के कारण वह लालजी की कुटी में आकर रुका था, जहां पर आरोपीगण ने आकर विवाद किया था।
- 08- प्रधान आरक्षक द्वारिका प्रसाद (अ0सा0-4) के द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श-पी-4 बनाया गया है, जिसकी पुष्टि इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में की है। इस साक्षी के अनुसार उसने नक्शा मौका साक्षी सुरेंद्र कुमार व बालकिशन के समक्ष फरियादी की निशानदेही पर बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श-पी-2 साक्षी बालकिशन के सामने बनाया गया था, इस बात की पुष्टि स्वयं फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में करते हुये कथन दिये है कि बालकिशन चौकीदार था जिसके सामने नक्शा मौका प्रदर्श-पी-4 बनाया गया था। प्रधान आरक्षक द्वारिका प्रसाद (अ0सा0-4) के द्वारा बनाया गया नक्शा मौका प्रदर्श-पी-4 घटना स्थल पर जाकर साक्षी चौकीदार बालकिशन के समक्ष स्वयं उसकी निशानदेही पर बनाया गया, इस बात की पुष्टि फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) ने अपने कथनों में की है।
- 09- प्रधान आरक्षक द्वारिका प्रसाद (अ0सा0-4) के द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श-पी-4 में चिह्नित किये गये घटना स्थल की पुष्टि स्वयं फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) के द्वारा घटना स्थल के संबंध में न्यायालय में दिये गये कथनों से होती है, जिससे इस संबंध में नक्शा मौका प्रदर्श-पी-4 में दर्शाये गये घटना स्थल एवं फरियादी के द्वारा न्यायालीन कथनों में बताये गये घटना स्थल व प्रथम सूचना रिपोर्ट

प्रदर्श-पी-1 में उल्लेखित घटना स्थल के संबंध में कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है तथा अभिलेख पर इस आशय की अखण्डित साक्ष्य उपलब्ध है कि जिस जगह पर घटना घटित हुई, उक्त घटना स्थल कुटी मोहल्ला में फरियादी के हरवारा लालजी की कुटी के पास था।

- 10- फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) का अपने कथनों में कहना है कि अभियुक्तगण रात्रि 11:00 बजे उपरोक्त घटना स्थल पर आये थे, जिनमें से जगत सिंह जो कि हाथ में कुल्हाड़ी लिये था, ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी थी, वहीं दशरथ ने उसके दाये कान में लुहांगी मारी थीं, जिससे कान कट गया था तथा इसके बाद आरोपीगण ने उसके पैर में पीठ में सभी जगह लाठियों से मारपीट की थी। फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) का कहना है कि घटना स्थल के पास ही बस और ट्रक खड़ा था तथा उसके चिल्लाने पर बस का ड्रायवर कैलाश प्रदर्श-पी-10 व ट्रक में से छोटेराजा (अ0सा0-2) के द्वारा आवाज लगाने पर कि ‘कौन मारपीट कर रहा है, कौन लड रहा है’ सुनकर आरोपीगण वहां से भाग गये थे।
- 11- फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 5 में यह कथन दिये हैं कि घटना के समय वह चिल्लाया था कि कोई बस और ट्रक में हो तो उसे बचा ले तो उसकी आवाज सुनकर छोटेराजा (अ0सा0-2) व एच0एम0टी0 बस का ड्रायवर कैलाश (अ0सा0-10) वहां आ गये थे, जिसके बाद आरोपीगण वहां से भाग गये थे। कैलाश (अ0सा0-10) वर्ष 2005 में घटना के समय एच0एम0टी0 बस का ड्रायवर था तथा घटना दिनांक को उसकी बस कुटी मोहल्ला में घटना स्थल के पास खड़ी थी, यह स्वयं इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में स्वीकार किया है वहीं छोटेराजा (अ0सा0-2) ने भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि घटना दिनांक को रात्रि के समय उसका ट्रक घटना स्थल के पास खड़ा था तथा वह ट्रक के अंदर सो रहा था। कैलाश (अ0सा0-10) व छोटेराजा (अ0सा0-2) ने अपने अपने कथनों में एक दूसरे के घटना स्थल पर उपस्थित होने की भी पुष्टि करते हुये न्यायालय में कथन दिये हैं।
- 12- अतः घटना के समय घटना स्थल कुटी मोहल्ले के पास एच0एम0टी0 बस का ड्रायवर कैलाश (अ0सा0-10) बस लिये खड़ा था तथा छोटेराजा (अ0सा0-2) का ट्रक भी वही खड़ा था और छोटे राजा उसमें था, इस संबंध में रामसिंह (अ0सा0-1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि स्वयं कैलाश

(अ0सा0-10) व छोटेराजा (अ0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है तथा इस संबंध में फरियादी के कथनों की पुष्टि प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में इन साक्षियों की घटना स्थल पर उपस्थिति के संबंध में लेख की गई घटना से होती है।

13- कैलाश (अ0सा0-10) व छोटेराजा (अ0सा0-2) ने हालांकि अपने न्यायालीन कथनों में घटना के समय अपनी व फरियादी की उपस्थिति मौके पर होने के संबंध में न्यायालय में कथन दिये हैं, परन्तु इन साक्षियों ने अभियोजन के समर्थन में अभियुक्त के विरुद्ध कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये। इन दोनों ही साक्षियों का अभियुक्तगण के संबंध में यह कहना है कि घटना के समय अभियुक्तगण मौके पर नहीं थे और न ही उन्होंने रामसिंह के साथ अभियुक्तगण को कोई घटना कारित करते हुये देखा है। कैलाश (अ0सा0-10) व छोटेराजा (अ0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में हालांकि अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन के द्वारा इन दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी करने के पश्चात् उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इन साक्षियों ने अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये, परन्तु यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि इन साक्षियों ने अपने कथनों में इस बिंदू पर तो फरियादी के कथन एवं अभियोजन घटना का समर्थन किया है कि घटना दिनांक की रात्रि में घटना स्थल कुटी मोहल्ला के पास यह साक्षी बस और ट्रक में थे जहां फरियादी रामसिंह भी इन लोगों को मिला था।

14- विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि साक्षियों के पक्षविरोधी हो जाने के बाद भी उनकी उतनी साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है, या उन्हें घटना के समर्थन में साक्ष्य में पढा जा सकता है कि जितनी बिंदू पर वह अभियोजन का समर्थन कर रहे हो। कैलाश (अ0सा0-10) व छोटेराजा (अ0सा0-2) ने हालांकि अभियुक्तगण के संबंध में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया, परन्तु इन साक्षियों के कथनों से उनकी तथा घटना स्थल पर फरियादी की उपस्थिति संदेह से परे प्रमाणित होती है।

15- कैलाश (अ0सा0-10) अपने कथनों में यह कहता है कि रामसिंह रात को 11-11:30 बजे शराब पीकर चिल्लाता हुआ आया और एच0एम0टी0 बस से टकराया था और बचाओं बचाओं चिल्ला रहा था और उसने आस-पास देखा तो वहां कोई व्यक्ति नहीं था, इस साक्षी के अनुसार फरियादी रामसिंह के पूरे

कपड़े मिट्टी में लिपटे हुये तथा उसने रामसिंह के कोई चोट नही देखी थी। अतः कैलाश (अ0सा0-10) के अनुसार रात्रि 11-11:30 बजे उसने रामसिंह को घटना स्थल पर देखा था, जो शराब पीये हुआ था और उसकी एच0एम0टी0 बस से टकरा गया था। कैलाश (अ0सा0-10) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है, उस समय छोटेराजा (अ0सा0-2) भी मौके पर उपस्थित था तथा स्वयं छोटे राजा (अ0सा0-2) कैलाश (अ0सा0-10) की मौके पर उपस्थित होने की पुष्टि करता है यदि यह दोनों साक्षी यह कहते हैं कि यह दोनों मौके पर उपस्थित थे, तो उनके द्वारा मौके पर एक ही घटना देखी जानी चाहिए थी।

- 16- कैलाश (अ0सा0-10) मौके पर फरियादी को शराब पीये हुये रात्रि 11-11:30 बजे उसकी बस से टकरा जाना बताता है जबकि छोटेराजा (अ0सा0-2) का उपरोक्त कथनों के विपरीत यह कहना है कि उसे रात्रि लगभग 11:00 बजे भडभडाहट की आवाज एवं चीखने चिल्लाने की आवाज आई थी और जब उसने उतरकर देखा तो वहां फरियादी रामसिंह दिखाई दिया था, जिस पर उसने स्वयं कैलाश (अ0सा0-10) से कहा था कि फरियादी को किसी ने मारा है तथा स्वयं फरियादी ने भी उन लोगों ने यह कहा था कि उन लोगों से कहा था कि उसे किसी ने मारा है, परन्तु उसने मौके पर अभियुक्तगण को नही देखा। अतः कैलाश (अ0सा0-10) व छोटेराजा (अ0सा0-2) के द्वारा फरियादी के संबंध में जो घटना बताई गई है वह एक दूसरे के विरोधाभासी है तथा कैलाश (अ0सा0-10) के कथन इस संबंध में लेषमात्र भी विश्वसनीय नही है कि घटना के समय स्वयं फरियादी शराब पीये हुये था और बस से टकरा गया था।
- 17- घटना के समय यदि फरियादी शराब पीये हुये होता तो निश्चित रूप से दिनांक 08.03.2005 को सुबह 10:00 बजे ही जब डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-6) के द्वारा फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण किया गया तो उस परीक्षण में इस बात का उल्लेख होता, कि फरियादी चिकित्सीय परीक्षण के समय शराब पीये हुये था या उसके पास शराब की गंध आ रही थी, परन्तु ऐसा न तो डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-6) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है और न उनकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श-पी-11 में इस बात का उल्लेख है। अतः कैलाश (अ0सा0-10) का यह कहना कि घटना के समय अभियुक्त शराब पीकर बस से टकरा गया था, लेषमात्र भी विश्वसनीय प्रतीत नही होती है, वरन् इस साक्षी के कथनों से फरियादी की घटना स्थल पर उपस्थित व उसकी स्वयं की उपस्थिति प्रमाणित होती है।

- 18- छोटेराजा (अ0सा0-2) का अपने कथनों में यह कहना कि उसने चिल्लाने की आवाज सुनी थी और उसने कैलाश (अ0सा0-10) से कहा था कि फरियादी को किसी ने मारा है, फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) के कथनों की पुष्टि करता है कि उक्त दिनांक को रामसिंह (अ0सा0-1) के साथ मारपीट की घटना हुई थी और उक्त घटना के समय कैलाश (अ0सा0-10) व छोटेराजा (अ0सा0-2) मौके पर उपस्थित थे।
- 19- फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है। बच्चों को खेलने के दौरान उसके द्वारा डांटने के कारण आरोपीगण रात्रि के समय 11:00 बजे जब वह पानी बरसने के कारण कुटी मोहल्ला में लालजी हरवारा की कुटी में आ गया था, तो अभियुक्तगण ने वहां आकर उक्त कारण से उसके साथ गाली-गलौच और मारपीट की थी। फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) अपने मुख्यपरीक्षण में ही यह स्पष्ट रूप से कहता है कि जगत सिंह ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी थी तथा उसने उक्त कुल्हाड़ी का निशान कथनों के दौरान अपने माथे पर दिखाया भी था, इस साक्षी का कहना है कि दशरथ के लुहांगी मारने से उसका कान कट गया था तथा इसके बाद आरोपीगण ने लाठियों से उसके पैर में और पीठ में लाठियों से मारपीट की थी।
- 20- घटना के तुरन्त बाद सुबह 10:00 बजे फरियादी राम सिंह (अ0सा0-1) का चिकित्सीय परीक्षण डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-6) ने किया था। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-6) ने अपने कथनों में यह व्यक्त किया है कि उसने चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी के माथे में बाई ओर हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव तथा दाहिने कान के पिन वाले भाग पर कटा हुआ घाव सहित दाहिनी बखा, पीठ व दाहिनी कान में नीलगू निशान के साथ बाये घुटने में एक छिला हुआ घाव पाया था, जिसके पश्चात् उनके द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श-पी-11 तैयार की गई। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-6) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रदर्श-पी-11 की रिपोर्ट से होती है। अतः ऐसे में चिकित्सीय साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि फरियादी का जब चिकित्सीय परीक्षण घटना की रात्रि के दूसरे दिन सुबह 10:00 बजे हुआ था, तो उसके शरीर पर विशेष कर माथे पर चोटें थी।
- 21- डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-6) के चिकित्सीय साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि फरियादी के माथे व दाहिने कान में किसी धारदार हथियार की चोट होने से कटे हुये घाव की चोटें थी। डॉक्टर सीताराम रघुवंशी

(अ0सा0-7) ने उक्त माथे की चोट के संबंध में किये गये एक्स-रे परीक्षण में रिपोर्ट के अनुसार लीनियर अस्थि भंग होने के संबंध में न्यायालय में कथन दिये हैं जिसकी पुष्टि एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श-पी-12 से होती है। अतः यह भी प्रमाणित होता है कि फरियादी के सिर में डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-6) के द्वारा अन्य चोटों के साथ जो कटे हुये घाव की चोट पाई गई थी, उसमें अस्थि भंग था।

22- फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) के द्वारा न्यायालय में घटना घटित होने के कारण बताया गया है, उसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 से होती है तथा साथ ही उक्त कारण के चलते अभियुक्तगण ने घटना स्थल कुटी मोहल्ल में आकर रात्रि 11:00 बजे धारदार हथियार कुल्हाड़ी, लाठियों से लैश होकर उसके साथ मारपीट की थी, और उक्त मारपीट में उसे सिर में, कान में, हाथ पैरों में सभी जगह चोटें आई थी इस संबंध में फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) की साक्ष्य उसके संपूर्ण परीक्षण में अकाट्य व अखण्डित है, जिसमें कोई तात्त्विक विरोधाभास नहीं है, इस घटना के समय फरियादी के अनुसार कैलाश (अ0सा0-10) व छोटेराजा (अ0सा0-2) मौके पर उपस्थित थे तथा उनके द्वारा घटना देखी गई थी, इस संबंध में भले ही कैलाश (अ0सा0-10) व छोटेराजा (अ0सा0-2) ने फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) के समर्थन में कथन नहीं दिये परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अपनी स्वयं की व एक-दूसरे की उपस्थिति सहित फरियादी रामसिंह की घटना दिनांक व समय को घटना स्थल पर उपस्थिति प्रमाणित की है तथा छोटेराजा (अ0सा0-2) के कथनों से इस बात की पुष्टि होती है कि उक्त दिनांक को रात्रि 11:00 बजे फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) के साथ मारपीट की घटना कारित कर उसे शरीर में कई जगह पर उपहति कारित की गई थी। चिकित्सीय साक्ष्य से चिकित्सीय परीक्षण में घटना के फौरन बाद फरियादी के शरीर पर चोटों की पुष्टि होना यह साबित करता है कि उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई थी जिसके संबंध में फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) की साक्ष्य अखण्डित हैं।

23- घटना के अन्य साक्षी ऋषभ कुमार (अ0सा0-8) सहित तोफान (अ0सा0-3) व अंगद सिंह (अ0सा0-5) ने भले ही अभियोजन घटना के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये तथा साक्षी कैलाश (अ0सा0-10) व छोटेराजा (अ0सा0-2) ने पूरी तरह से अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि किसी भी घटना की विश्वसनीयता साक्षियों की संख्या की अपेक्षा साक्ष्य की गुणवत्ता पर आधारित होती है और यदि एकल साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय है

तो मात्र उसके आधार पर भी घटना प्रमाणित हो सकती है। इस प्रकरण में फरियादी राम सिंह (अ0सा0-1) के द्वारा घटना के संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी गई हैं, जो पूरी तरह से अभियोजन घटना का समर्थन करती है तथा फरियादी के कथन की पुष्टि प्रदर्श-पी-1 की रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 की रिपोर्ट एवं उसके साथ कारित हुई घटना की पुष्टि छोटेराजा (अ0सा0-2) की साक्ष्य सहित चिकित्सीय साक्ष्य से होती है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है।

24- निश्चित रूप से फरियादी के कथनों में घटना में प्रयुक्त हथियार के संबंध में मामूली विरोधाभास अवश्य है, परन्तु उसकी साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है कि उसके सिर में और कान में अन्य चोटों के साथ गंभीर चोट घटना में आई थी तथा फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) का अपने मुख्यपरीक्षण में ही स्पष्ट रूप से कहना है कि जगत सिंह ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी थी और इसी कारण से डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ0सा0-6) ने उसके सिर में चिकित्सीय परीक्षण में कटा हुआ घाव होने की पुष्टि की है जिसमें बाद में डॉक्टर सीताराम रघुवंशी (अ0सा0-7) ने अस्थि भंग होना पाया है। अतः इससंबंध में कोई संशय की स्थिति नहीं है कि जगत सिंह के कुल्हाड़ी के प्रहार से फरियादी के सिर में अस्थि भंग हुआ था चूंकि सभी अभियुक्तगण ने एक राय होकर घटना स्थल पर आकर फरियादी के साथ मारपीट की उससे उनका ऐसी उपहति फरियादी को कारित करने का सामान्य आशय दर्शित होता है जिसके परिणाम के लिये सभी लोग दायी है।

25- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने फरियादी के प्रतिपरीक्षण में घटना सील कुटी के अंदर होने के संबंध में फरियादी के कथनों में विरोधाभास उत्पन्न करने में हालांकि सफल रहा है, परन्तु उक्त विरोधाभास को गणितीय गणना की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता हैं। फरियादी रामसिंह का भले ही अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहना है कि झगडा कुटी के अंदर हुआ था, परन्तु इस साक्षी का साथ में यह भी कहना है कि जब कुल्हाड़ी मारी तो वह कुटी के बाहर आ गया था। अतः स्पष्ट होता है कि घटना बाहर भी घटित हुई थी। अतः मात्र उक्त मामूली विरोधाभास के आधार पर फरियादी की संपूर्ण साक्ष्य को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है।

26- जहां तक बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा है कि फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) शराब के नशे में बस से टकरा गया था, तो इस संबंध में ली गई प्रतिरक्षा

फरियादी के शरीर पर चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई चोटों को देखते हुये लेशमात्र भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ ने फरियादी के सिर में, पैर में कान में, पीठ में, बाये पैर, पीठ और बखा में चोटें होने की पुष्टि की है उक्त चोटें मात्र शराब पीकर बस से टकराने से आना कहीं से भी संभव प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि शरीर के लगभग सभी भागों पर चोटों के निशान है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सहायक उपनिरीक्षक शिवमंगल सिंह (अ0सा0-9) के द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में लेखबद्ध की जाना बताया हैं। उक्त रिपोर्ट थाना चंदेरी में लेखबद्ध किये जाने से बचाव पक्ष की इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में प्रतिरक्षा ली गई है कि रिपोर्ट विक्रमपुर चौकी में लेख नहीं कराई गई। घटना स्थान यदि विक्रमपुर चौकी के पास भी था और फरियादी ने थाना चंदेरी में आकर रिपोर्ट लेख कराई मात्र इस आधार पर अभियोजन घटना पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। घटना के संबंध में फरियादी की साक्ष्य अखण्डित है, जिस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, वही बचाव पक्ष के द्वारा ली गई प्रतिरक्षा कपोल कल्पित प्रतीत होती है।

- 27- अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) के कथन एवं उसके द्वारा बताई गई घटना पूरी तरफ से प्रमाणित होती है कि अभियुक्तगण ने बच्चो को डांटने पर से फरियादी रामसिंह के साथ घटना दिनांक को मारपीट की थी और उस मारपीट में फरियादी के सिर में धारदार हथियार कुल्हाडी से अस्थि भंग कारित किया गया।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1, 2, 4 व 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 28- फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) के द्वारा दिये गये कथनों से यह दर्शित नहीं होता है कि फरियादी रामसिंह (अ0सा0-1) को किसी विशिष्ट दिशा में जाने से रोका गया। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि मारपीट करने के लिये फरियादी को रोका गया, तब भी उक्त प्रकार से रोकना भा0दं0वि0 की धारा 341 की परिधि में नहीं आता है। जब तक कि यह साबित न कर दिया जावे कि किसी विशेष दिशा में जाने से फरियादी को रोका गया, जहां पर जाने का उसे अधिकार था।
- 29- जहां तक घटना में अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी को दी गई गाली-गलौच का प्रश्न है तो इस संबंध में रामसिंह (अ0सा0-1) का अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहना है कि अभियुक्तगण ने उसे मां-बहन की गालियां दी थी तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में भी अश्लील गालियां देना बताया है, परन्तु किस अभियुक्त ने क्या शब्द उच्चारित किये यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है तथा

फरियादी के कथनों से या अन्य साक्षियों के कथनों से यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा यदि कोई गालियां दी भी गई, तो उससे किसी को क्षोभ कारित किया। अतः यदि क्षोभ कारित होना प्रमाणित नहीं है वहां भा0दं0वि0 की धारा 294 के आरोप भी प्रमाणित नहीं होते हैं। फरियादी ने इस संबंध में भी कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये कि अभियुक्तगण ने उसे संत्राष कारित करने के लिये जान से मारने की धमकी दी थी। अतः साक्ष्य के अभाव में भा0दं0वि0 की धारा 506 बी के आरोप भी अभियुक्तगण विरुद्ध प्रमाणित नहीं होते हैं।

30— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तो युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि उक्त दिनांक 07.03.2004 को समय 11:00 बजे ग्राम विक्रमपुर में फरियादी रामसिंह को उपहति करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में काटने के उपकरण कुल्हाड़ी एवं फर्सा से मारकर फरियादी रामसिंह को अस्तिभंग की स्वेच्छया घोर उपहति कारित की, परन्तु अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी को सदोष अवरोध कारित लोक स्थान पर मां-बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।

31— फलतः अभियुक्तगण दशरथ पुत्र राजधर कुशवाह, जगत सिंह पुत्र राजधर कुशवाह, नारायण पुत्र घुमन कुशवाह एवं लाखन पुत्र घासीराम कुशवाह के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 326/34 के आरोप प्रमाणित होने से उन्हें भा0दं0वि0 की धारा 326/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है वही अभियुक्तगण दशरथ पुत्र राजधर कुशवाह, जगत सिंह पुत्र राजधर कुशवाह, नारायण पुत्र घुमन कुशवाह एवं लाखन पुत्र घासीराम कुशवाह के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 341, 294, 506बी के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा0दं0वि0 की धारा 341, 294, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

32— अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित

किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 33— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है, इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया।
- 34— प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण निश्चित रूप से वर्ष 2004 से न्यायालय में लंबित था तथा अभियुक्तगण की उपस्थिति भी इस अवधि में नियमित नहीं है, परन्तु मात्र प्रकरण का लंबी अवधि तक लंबित रहना एवं अभियुक्तगण की नियमित उपस्थिति गंभीर अपराधों में सहानुभूति प्राप्त करने का आधार नहीं हो सकती है। मामूली बात पर से एक निहत्थे व्यक्ति के साथ घातक हथियारों से लेश होकर बरबर्ता पूर्ण मारपीट का कृत्य कर गंभीर उपहति कारित की गई है। अभियुक्तगण के द्वारा कारित किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का है जिसके अन्य भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अतः ऐसे में उक्त अपराध के लिये अभियुक्तगण के साथ सहानुभूति की अपेक्षा उन्हें ऐसा दण्ड दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है जिससे समाज में एक शिक्षाप्रद संदेश पहुंच सकें।
- 35— अतः प्रकरण में परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति एक गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण दशरथ पुत्र राजधर कुशवाह, जगत सिंह पुत्र राजधर कुशवाह, नारायण पुत्र घुमन कुशवाह एवं लाखन पुत्र घासीराम कुशवाह को भा0दं0वि0 की धारा 326/34 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप प्रत्येक अभियुक्तगण को 3-3 वर्ष (तीन-तीन वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रुपये (एक एक हजार रुपये) के

अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 3-3 माह (तीन-तीन माह) का पृथक से कारावास भुगताया जावे।

36-अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि के पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)